राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– ई–18/एम/एफ.19117/2024/563 दिनांक 20/5/24

–:: परिपत्र ::–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 (ii) के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात् नियुक्ति तिथी से 03 वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिंन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु कुछ कार्मिको ने निधार्रित समय में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। जिसके क्रम में जारी कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 28.05.2018 की पालना में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा मॉक टेस्ट लेकर मॉक टेस्ट में टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में अपनी रिपार्ट के साथ पत्रावली शिथिलता हेतु प्रशासनिक विभाग को भिजवाई जाती है।

वर्तमान में पृथक पृथक कार्यालयों से कार्मिको के टंकण परीक्षा में शिथिलता प्रदान हेतु आवेदन निदेशालय को प्राप्त हो रहे है, प्राप्त आवेदन पूर्ण तथ्यों के अभाव में पुनः संबंधित को लौटा दिये जाते है तथा प्रक्रिया में देरी होने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों की समयावधि और अधिक बढ़ती जा रही है, को मध्यनजर रखते हुए ऐसे कार्मिक जिन्होनें निधार्रित समय अवधि में (दिनांक 31.05.2024 तक) टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है वे टंकण परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने हेतु शिथिलता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करेः–

1. कार्मिक द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण कब किया गया। नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।
2. अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 (ii) के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायक को निर्धारित समयावधि 02 वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता एवं 03 वर्ष में टंकण परीक्षा उतीर्ण किया जाना है। अतः कार्मिक द्वारा क्या निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित कर ली गई हैं यदि हां, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि नहीं की गई है, तो इस संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।
3. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.11.2021 के क्रम में आयोजित दो विशेष परीक्षाओं में क्या कार्मिक सम्मिलित हुआ है। यदि हां तो परीक्षाओं की तिथियों से अवगत करावें।
4. कार्मिक द्वारा निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा कितनी बार दी गई है और नहीं दी गई तो उसका क्या कारण था, साक्ष्य सहित कारण स्पष्ट करावें।
5. कार्मिक द्वारा टंकण परीक्षा दी गई किन्तु वह परीक्षा में असफल रहा। उसके द्वारा दी गई टंकण परीक्षा में गति क्या रही, इस संबंध में टंकण परीक्षा के परिणाम की प्रति संलग्न करें।
6. निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले कार्मिक द्वारा मॉक टेस्ट में सम्मलित होने हेतु प्रस्ताव निदेशालय को कब कब भिजवाया गया साक्ष्य सहित प्रति उपलब्ध करावें। प्रस्ताव नहीं भिजवाये जाने की स्थिती में कारण स्पष्ट करें।

RajKaj Ref 7211436

7. कार्मिक द्वारा निदेशालय में कब–कब मॉक टेस्ट दिया गया एवं परिणाम क्या रहा। तथा कार्मिक को कब कब टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई की प्रति संलग्न करावें।

उक्त क्रम में समस्त कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना/दस्तावेज बिन्दुवार स्पष्ट एवं पठनीय प्रति मय सत्यापन के, प्रत्येक कार्मिक के पृथक पृथक प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 तक ई डाक के माध्यम से SSOID-RJJP201518013863 पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उसके पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। साथ ही कार्यालयध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करावें कि जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति तिथि से 03 वर्षो में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 28.05.2018 की अनुपालना में अविलम्ब ही मॉक टेस्ट हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाते हुए कार्मिक को मॉक टेस्ट हेतु निर्देशित करावें। कार्यालय द्वारा विलम्ब से मॉक टेस्ट प्रस्ताव भिजवाये जाने की स्थिती में विलम्ब के कारणों से अवगत करावें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–18/एम/एफ.19117/2024/563 दिनांक : 20/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह, राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. अन्य समस्त नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref 7211436

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation :Director
Date :17-05-2024 11:47:13